न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 132/2016 — दायर दिनांक–13.07.2016

1. भागीरथ पुत्र चुना
2. करणीराम पुत्र चुन जति जाट निवासीगण मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

– आवेदकगण

– :: बनाम ::–

1. रामचंद्र पुत्र दिलसुखराम (फौत)
   1/1 बलबीर सिंह पुत्र रामचंद्र
   1/2 विनोद पुत्र रामचंद्र
   1/3 महेश कुमार पुत्र रामचंद्र
   1/4 आशा चौधरी पुत्री रामचंद्र
   1/5 मूलचंद पुत्र रामचंद्र
   1/5/1 मंजू देवी पत्नी मूलचंद
   1/5/2 मुस्कान पुत्री मूलचंद
   1/5/3 सोनू पुत्री मूलचंद
   1/5/4 दीपिका पुत्री मूलचंद
   1/5/5 अंकित पुत्र मूलचंद समस्त जाति जाट निवासीगण मोहनवाड़ी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री आनन्दीलाल सैनी
वकील अनावेदकगण :– श्री विधाधर सिंह जाखड़

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.10.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम मोहनवाड़ी पटवार हल्का बसावा की सरहद मे नई खाता संख्या 272 की भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर स्थित है, राजस्व ग्राम चौनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में नई खाता संख्या 45 की भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.52 हैक्टर स्थित है तथा राजस्व ग्राम मिठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में नई खाता संख्या 8 की भूमि खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हेक्टर खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.25 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमियों के संबंध में आवेदकगण उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, विधिवत्त विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रहे है, जिसे आगे वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित ग्राम मोहनवाड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर में 1/3 हिस्सा आवेदक नं० 1 का, 1/3 हिस्सा आवेदक नं० 2 व प्रतिवादी नं० 2 का तथा 1/3 हिस्सा अनावेदक नं० 1 का है, इसी प्रकार [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित ग्राम चौनगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा आवेदक नं० 1 का, 1/3 हिस्सा आवेदक नं० 2 व प्रतिवादी नं0 2 का तथा 1/3 हिस्सा अनावेदक नं० 1 का है. इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है।प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित ग्राम मिठारवालो की ढाणी में स्थित भूगि खसरा नम्बर 2082 रकबा 262 हेक्टर खसरा नम्बर 2083 रकबा 283 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 5.25 हेक्टर में 1/6 हिस्सा आवेदक नं० 1 का 1/6 हिस्सा आवेदक नं0 2 व प्रतिवादी नं० 2 का, 1/6 हिस्सा अनावेदक नं० 1 का तथा प्रतिवादी नं० 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 का 3/4 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 है. इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है।

यहां यह भी दर्ज किया जा रहा है कि ग्राम मिठारवालो की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2082 व खसरा नम्बर 2083 को आवेदकगण, प्रतिवादी नं० 1 लगायत 9 ने मौखिक रूप से बांट रखा है, भूमि खसरा नम्बर 2082 को प्रतिवादी नं० 3 लगायत 9 काश्त करते है तथा भूमि खसरा नम्बर 2083 को आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 काश्त करते है, इसलिये भूमि खसरा नम्बर 2083 का आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 2082 का प्रतिवादी न० 3 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। भूमि खसरा नम्बर 2083 में आवेदक नं० 1 का 1/3 हिस्सा, आवेदक नं0 2 व प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हिस्सा तथा अनावेदक नं० 1 का 1/3 हिस्सा है, भूमि खसरा नम्बर 2082 में प्रतिवादी नं0 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा तथा 3/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 का है, इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त व आबाद है। प्रतिवादी नं० 3 लगायत 9 से आवेदकगण का कोई विवाद नही है, सह–खातेदार होने से पक्षकार संयोजित किये गये है। आवेदकगण का विवाद अनावेदक नं० 1 से है, जो आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 2 से विवादित भूमि के संबंध में कब्जा काश्त को लेकर विवाद करता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2083 जो सड़क पर स्थित है, कीमती है, को अकेला हड़पना चाहता है तथा निर्माण कार्य करके भूमि के विशिष्ट भाग को हड़पना चाहता है, कब्जे में लेना चाहता है, जबकि आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का प्रत्येक भाग पर हक अधिकार है तथा मौके पर हिस्से अनुसार बांट रखा है, परन्तु अनावेदक नं० 1 की नियत खराब है, जो आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 2 के हक हिस्से को ताकत के बल पर व विधि विरूद्ध तरीके से हड़पना चाहता है तथा विवाद करता है, जबकि आवेदकमण व प्रतिवादी नं० 2 शांतिप्रिय व्यक्ति है, विवाद से बचना चाहते है, विवाद से बचने के लिये विवादित भूमि का विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। वैसे भी शामलाती खातेदारी की भूमि रहने सेखातेदार काश्तकार सरकारी सुविधाओं को भलिमांति प्राप्त नहीं कर सकते है, ना ही सही तरीके से भूमि का विकास कर सकते है। इसलिये ग्राम मिठारवालों की ढाणी में स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 2083 के 1/3 हिस्से का आवेदक नं० 1 को, 1/3 हिस्से का आवेदक नं0 2 व प्रतिवादी नं0 2 को, 1/3 हिस्से का अनावेदक नं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 2082 के 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नं० 3 लगायत 6 को तथा 3/4 हिस्से का प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ग्राम मोहनवाड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 ग्राम चौनगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 751, 877/752 ग्राम मिठारवालो की ढ़ाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 में आवेदकगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे, जिसके लिये वाद श्रीमान की सेवामे पेश है।

विवादित भूमि आवेदकगण व प्र[illegible]तकारी की भूमि है, जिसमे आवेदकगण व प्रतिवादी नं० 1 व 2 का शामलाती हक अधि[illegible] रिकार्ड भी शामलाती ही दर्ज है, कानूनन शामलाती खातेदारी काश्तकारी [illegible] खातेदार काश्तकार का इंच–इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है, प्रत्येक खातेदार काश्तकार [illegible] शामलाती भूमि के प्रत्येक भाग को उपयोग में लेने का कानूनन हक अधिकार होता है परन्तु अनावेदक नं० 1 की नियत खराब हो चुकी है. जो विवादित भूमि को अकेले हडपना चाहता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2083 जो आवेदकगण व प्रतिवादी नं० 1 व 2 की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा ग्राम खिरोड से मिठारवालो की ढाणी जाने वाली सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट। फास्ट–ट्रेक। नवलगढ़

पर स्थित है तथा कीमती है, इसलिये अनावेदक नं० 1 की नियत में खोट आ चुका है। दिनांक 10.07.2016 को मौके पर अपने पुत्रो के साथ आया तथा आवेदकगण को धमकी दी कि मैं खसरा नम्बर 2083 सम्पूर्ण भूमि को ताकत व लठ के बल पर अपने कब्जे मे लेऊंगा और आवेदक नं० 1 के मौके पर टिनशैड व अन्य निर्माण बना हुआ था को नाजायज रूप से तोड़ दिया था जिसके लिये अनावेदक नं० 1 व उनके पुत्रो के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। अनावेदक नं0 1 ने आवेदकगण को एलानियां धमकी दी है कि मैं भूमि खसरा नम्बर 2083 पर कब्जा करके खण्ड–खण्ड मे प्लाट्स काटकर विक्रय करूंगा, मौके पर पुख्ता निर्माण कार्य करके भूमि के विशिष्ट व कीमती भाग पर कब्जा करूंगा, मौके से हरे पेड़ काटकर व मिट्टी की खुदाई करके भूमि को खुर्द–बुर्द करूंगा, जबकि अनावेदक नं० 1 को ऐसा करने का कानूनन अधिकार नहीं है, लेकिन अनावेदक नं० 1 अपनी नाजायज हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में अनावेदक नं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि जब तक विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विवादित भूमि मे आवेदकगण को उनके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे, आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदालखत बपैदा नहीं करे, काश्त की भूमि को काश्त के उपयोग में लेने, भूमि पर प्लाट्स काटकर विक्रय नहीं करे, अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लेवे, विवादित भूमि के कीमती व विशिष्ट भाग पर निर्माण कार्य करके अपने कब्जे मे नही लेवे, किसी प्रकार की विधि विरुद्ध कार्यवाही को अन्जाम नही देवे, जिसके लिये उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि आवेदकगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, काबिज काश्तकार है, शामलाती भूमि के प्रत्येक भाग को उपयोग में लेने का अधिकार है. इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है, परन्तु अनावेदक नं० 1 अपनी गलत योजना की क्रियान्विती में लगा हुआ है. अगर अनावेदक नं० 1 अपनी गलत योजना की क्रियान्विती मे सफल हो गया तो आवेदकगण को अपार क्षति होगी, आवेदकगण को अपने वैध अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा, जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। आवेदकगण को अपने अधिकारों की रक्षार्थ मुकदमे बाजी में फंसना होगा, जिसमे समय व धन की बर्बादी होगी साथ ही मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी होगी। ऐसी सूरत में अनावेदक नं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हैक्टर, राजस्व ग्राम मोहनवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर, राजस्व ग्राम चौनगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बरर 751 रकबा 7.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.20 हैक्टर, राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर विवादित भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक अनावेदक नं० 1 विवादित भूमि के कीमती व विशिष्ट भाग पर निर्माण नहीं करे, कब्जा नही करे, विवादित भूमि पर प्लाट्स नही काटे, ना ही विक्रय करे, कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही लेवे, भूमि पर हरे पेड़ काटकर विक्रय नही करे, मिट्टी की खुदाई करके खुर्द–बुर्द नही करे, वादीगण को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे, वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मदालखत पैदा नहीं करे, किसी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही नही करे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अना[illegible] सं[illegible] 1 की ओर से वकील श्री विधाधर सिंह जाखड़ उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना [illegible] खारिज किये जाने के निवेदन के साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस [illegible] का उपरोक्त उनवानी दावा/प्रार्थना–पत्र पेश करना स्वीकार है, आवेदकगण ने उप[illegible] उनवानी दावा/प्रार्थना–पत्र बहुत ही कमजोर आधारो पर आधारित होकर पेश किया है जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं [illegible]
मजिस्ट्रेट [illegible]

प्रार्थना–पत्र की धारा 2 में सजरा खानदान स्वीकार है लेकिन सिणगारी, संतोष पुत्रिया चुन्नाराम, सरिता, सलोचना पुत्रिया हणमानाराम द्वारा हक त्याग करना दर्ज किया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हक त्याग का कोई किसी प्रकार का विधिक प्रावधान नहीं है इस कारण वे आवश्यक पक्षकार है जो नहीं बनाये गये है इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र खारिज होने लायक है। अनावेदक नम्बर 2 कहीं नहीं गया है बाहर कहां गया है कुछ भी दर्ज नहीं है इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा / प्रार्थना–पत्र खारिज होने लायक है। प्रार्थना–पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है विभाजन सम्पूर्ण खातेदारी का होता है सम्पूर्ण खातेदारी के कुछ भाग का नहीं होता है आवेदकगण ने इस वाद/प्रार्थना–पत्र में सम्पूर्ण खातेदारी का वाद/प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है इस कारण न तो विभाजन किया जा सकता है और ना ही दावा/प्रार्थना–पत्र चलने लायक है दावा/प्रार्थना–पत्र खारिज होने लायक है। पक्षकारो के सम्पूर्ण खातेदारी निम्न प्रकार से है :– ग्राम मिठारवालो की ढ़ाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा रामचन्द्र उत्तरदाता, भागीरथ पुत्र चुन्नीलाल, सिणगारी, संतोष पुत्रिया चुन्नीलाल, करणीराम, मनोहर सिंह पुत्रान हणमानाराम का है तथा 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश, राजेन्द्र, बनवारी उर्फ पोकर पुत्रान दानाराम, बुलकेश देवी पत्नी स्व. जगमालराम उर्फ घुडाराम, बसन्त कुमार पुत्र स्व. जगमालराम, रेखा कुमारी पुत्री स्व. जगमालराम, रिछपाल, पीथाराम, दुर्गाराम पुत्रान सुरजाराम, बाहमी बंटवारे में जो मिट्स एण्ड बाउण्ड से बांट कर अलग–अलग निम्न प्रकार से काश्त करते है :–

(क) खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हैक्टर ओमप्रकाश, राजेन्द्र, बनवारी उर्फ पोकर पुत्रान दानाराम, बुलकेश देवी पत्नी स्व. जगमालराम उर्फ धुडाराम, बसन्त कुमार पुत्र स्व. जगमालराम, रेखा कुमारी पुत्री स्व. जगमालराम, रिछपाल, पीथाराम, दुर्गाराम पुत्रान सुरजाराम के हिस्से में आया है और ये हीकाफी वर्ष करीब 50–55 साल से अलग काश्त करते है, अलग सीमा है अलग लाटते है।

(ख) खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर अकेले उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आया है वो ही अलग सीमा बनाकर काश्त करता है व लाटता है। भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह के इस खसरा नम्बर में कोई हिस्सा नहीं आया है इस खसरा नम्बर के उनके हिस्से की भूमि संयुक्त खातेदारी की अन्य भूमि में दी हुई है इस खसरा नम्बर को उत्तरदाता रामचन्द्र ही काश्त करता है।

(बी) ग्राम चौनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.52 हेक्टर स्थित है इन खसरा नम्बर के पूरे रकबे पर भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह जो चुन्नीलाल व हणमान के उत्तराधिकारी है वह काबिज व काश्त करते है इन खसरा नम्बर का रकबा इन्ही अकेले के हिस्से में आया है।

(सी) ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर जिसका राजस्व रिकॉर्ड आवेदक व चुन्नीलाल, हणमान के उत्तराधिकारियो भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह के नाम से है वादी अकेले के हक हिस्से में आया [illegible] काबिज काश्तकार है।

(डी) ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि [illegible] नम्बर 690 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरानम्बर 694 रकबा 1.[illegible] रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.8100 हेक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0. 1300 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 4.7200 हैक्टर स्थित है इस भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

उत्तरदाता रामचन्द्र व भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह का 1\8 हिस्सा है उक्त भूमि पैत्रिक है जिसके पुराने खसरा नम्बर 416,418,419,420,422 है जिसमें दिलसुख का 1\8 हिस्सा है दिलसुख फौत हुआ तब दिनांक 15.06.1968 को इन्तकाल नम्बर 48 दिलसुख के तीनो पुत्रो रामचन्द्र, चुन्ना, हणमान के नाम दर्ज हुआ था लेकिन दिलसुख के 1/8 हिस्सा जो जांव में था वह पूरा हिस्सा भाई बट में चुन्नाराम व हणमान के हिस्से में आ गया इस कारण नई पैमाईश में उत्तरदाता रामचन्द्र का नाम रिकार्ड से हटा दिया व 1\8 हिस्सा सम्पूर्ण भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह के हिस्से में आया है यही काबित व काश्तकार है। शेष 7\8 हिस्सा सह काश्तकार अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है 7\8 हिस्से के सह काश्तकार ओमप्रकाश, राजू, बनवारी, बुलकेश देवी, बसन्त कुमार, रेखा कुमारी, रिछपाल, पिथाराम, दुर्गाराम, गंगाराम, मुला, श्रवणी प्रभूदयाल, शंकर, गिरधारी, नन्दू व बाबूलाल है इन सभी सह काश्तकारो को वादी ने वाद–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद आवश्यक पक्षकारो के अभाव में विधि अनुसार दावा पेश नहीं करने के कारण से खारिज होने योग्य है।नोट– बाहमी बंटवारे में आज से 50–55 साल पूर्व मिठारवालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हेक्टर व खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का मोहनवाडी तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित है का सम्पूर्ण रकबा उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आया है वही काबिज काश्तकार है अलग सीमा बना रखी है और अलग ही खसरा नम्बर पडे हुवे है अलग ही भूमि को लाटता है और उनके हिस्से व कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में भी अलग खसरा नम्बर डालकर अलग सीमा दिखाई गई है उत्तरादाता रामचन्द्र ने खसरा नम्बर 674 में करीब 24–25 साल पूर्व चाह बनाया था, और चाह में उत्तरदाता रामचन्द्र ने सन् 2001 में अपने नाम से विधुत सम्बन्ध ले रखा है उत्तरदाता रामचन्द्र के चार पुत्र है जिसमें एक पुत्र बलबीर सिंह सीकर रहता है उसने सीकर मकान बना रखे है बाकी रामचन्द्र के तीनो पुत्र विनोद सिंह, मूलचन्द, महेश ने इस खसरा नम्बर में तीन जगह अलग–अलग मकान बना रखे है जो कुल मकान कम से कम 20–25 है, 50–55 साल से उक्त खसरा नम्बर उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आया है तब ही चाह बनाकर विधुत सम्बन्ध लिया है और उक्त मकान काश्त की हिफाजत व रहवास के लिये बनाये है तथा खसरा नम्बर 2083 में भी उत्तरदाता रामचन्द्र ने करीब 10 वर्ष पूर्व ट्यूबवैल बनाया था जिसमें भी विद्युत सम्बन्ध लेने के लिये रामचन्द्र ने अ०वि०वि०नि०लि० नवलगढ़ के यहाँ दिनांक 09.11.2010 को फाईल जमा करवायी हुई है और इस खसरा नम्बर में काश्त की हिफाजत के लिये उत्तरदाता रामचन्द्र ने दो ढ्ारे भी चारा आदि डालने के लिये बनवा रखे है। इस कारण विधिवत बंटवारा जाकर उक्त खसरा नम्बरो का खाता अलग उत्तरदाता रामचन्द्र के नाम बनादिया जावे, जिसके लिए उक्त वादध्प्रार्थना–पत्र में काउन्टर क्लेम टी. आई. भी श्रीमान की सेवामें पेश है।

4. यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। इस धारा के सम्बन्ध में तमाम तथ्यो का जवाब उपर की धारा 3 में आ चूका है आवेदकगण ने तमाम तथ्यों को छुपाकर सम्पूर्ण खातेदारी का वादध्प्रार्थना–पत्र पेश न करके कुछ खसरा नम्बरो का वाद/प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया, जो विधि अनुसार चलने लायक नहीं है आवेदकगण ने खसरा नम्बर 674 में बने उत्तरदाता रामचन्द्र के मकानो, निर्माण, विधुत चाह के सम्बन्ध में तमाम तथ्यों को छुपाया है और खसरा नम्बर 2083 में उत्तरदाता रामचन्द्र के बने ट्यूबवैल के सम्बन्ध में उसमें उत्तरदाता रामचन्द्र के बने ढारो के सम्बन्ध में व उत्तरदाता रामचन्द्र ने विधुत फाईल जमा करवाने के सम्बन्ध में तमाम तथ्य छुपाये है इस कारण आवेदकगण किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है उनका दावाध्प्रार्थना–पत्र खारिज होने लायक है। जो व्यक्ति तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को मुगालते में रखकर कार्यवाही करता है व दावाध्प्रार्थना–पत्र पेश करता है तो न्यायालय उसे रिलिफ नहीं देता है बल्कि प्रकाशित व सजा योग्य है इस कारण आवेदकगण का दावाध्प्रार्थना–पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज होने लायक है जवाब की धारा 3 में वर्णित सम्पूर्ण खातेदारी में दिलसुख के तीन पुत्र चुन्नाराम, रामचन्द्र व हणमान का बराबर–बराबर प्रत्येक का 1\3 1\3 हिस्सा है और अपने हिस्से अनुसार आज से 50–55 साल पूर्व दिलसुखराम के तीनो पुत्रो ने भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

अलग–अलग विभाजन कर लिया,अलग–अलग सीमा बना ली और अलग–अलग ही बांटते है व लाटते है। अलग–अलग राशन कार्ड है अलग–अलग रहवासी मकान है, अलग–अलग खाना बनाते है और अलग–अलग अपना हानी–लाभ है। आवेदकगण को 50–55 साल पूर्व जब विभाजन किया था तब डेरी की बहुत अच्छी किस्म की भूमि ली थी और उन्हें दी गई थी क्योंकि उत्तरदाता रामचन्द्र अनपढ व अकेला था और चुन्नाराम व हणमान आपस में मिले हुवे संगठित थे और इसी कारण उन्होने 1६8 हिस्सा जो जांव में था वह सारा इन दोनो ने ही लिया था, उत्तरदाता रामचन्द्र को उडार की कम उपजाउ जमीन उस वक्त कुछ रकबा ज्यादा देकर दी गई थी, वह जमीन दिलसुखराम के निवास स्थान से चार किलोमीटर दूर थी इस कारण आवेदकगण के पूर्वज उसे लेना भी नहीं चाहते थे और उत्तरदाता रामचन्द्र को कमजोर स्थिति के कारण उसे उक्त भूमि दी गई थी और उसने ली थी। दिलसुख के पुत्रो का निम्न प्रकार से 1६3 1६3 हिस्से अनुसार बंटवारा किया हुआ है और निम्न प्रकार से भूमि उनके हिस्से में आई है।

(क) खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर व खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आई है। इस रकबे में चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारियो का कोई हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त 50–55 साल से कभी नहीं रहा, सिर्फ उत्तरदाता रामचन्द्र का ही हक हिस्सा व कब्जा काश्त रहा है।

(ख) खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 877६752 रकबा 0.2000 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारीयो के हिस्से मेंआया है तथा जांव खसरा नम्बर 690 लगायत 696 व खसरा नम्बर 699, 701, 702 कुल किता 10 कुल रकबा 4.72 हैक्टर में जो दिलसुख का 1६8 हिस्सा था वह सारा हिस्सा चुन्नाराम व हणमान राम के हिस्से में आया है इसमें उत्तरदाता रामचन्द्र का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नम्बर 751 में आवेदकगण चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारीयो ने ट्यूबवैल कर रखी है और 2004 से उन्होने विधुत सम्बन्ध भी ले रखा है जिसमें चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारी अलग–अलग मकान बना के आबाद है कुल पुक्ता मकान 20–22 है।

नोटः– आवेदकगण यह तथ्य बताये कि अगर ये 50–55 साल से मिट्स एण्ड बाउण्ड से अलग–अलग बंटवारा करके अलग–अलग काबिज नहीं हुये और अलग–अलग भूमि काश्त नहीं करते है, अलग–अलग नहीं लाटते है तो उन्होने खसरा नम्बर 751 में अकेलो ने किस प्रकार से चाह बना लिया और उनके मकान कैसे बन गये, और उन्होने कैसे विधुत सम्बन्ध ले लिया। खसरा नम्बर 751 में विद्युत टावर भी 2012 में स्थापित हुआ था उसका मुआवजा वादीगण ने अकेलो ने कैसे लिया। उपरोक्त प्रकार से बाहमी बंटवारा करके 50–55 वर्ष से सब अलग–अलग काश्त करते है, लाटते है अलग–अलग बना रखे है इस प्रकार आवेदकगण ने तमाम तथ्यों को छुपाया है और गलत तरीके से वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जावे।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। विस्तार से तमाम तथ्यों का जबाब उपर दिया जा चूका हैउपर वर्णित प्रकार से ही सभी सह हिस्सेदार काबिज काश्तकार है और भूमि लाटते है खसरा नम्बर 2083 दिलसुख के रहवास की जगह से 4 किलोमीटर दूर पड़ती थी और आवेदकगण के पूर्वज दूर जमीन लेना नहीं चाहते थे और जमीन भी हल्की किस्म की थी इस कारण चुन्नाराम व हणमान दोनो ने मिलकर उ[illegible]खकर उस वक्त उक्त जमीन रामचन्द्र को हिस्से में दी थी लेकिन अब उस जमीन के [illegible]क चली गई इस कारण भूमि की कीमत बढ गई और आवेदकगण का इ[illegible] छुपाकर यह दावा ६ प्रार्थना–पत्र पेश किया है आवेदकगण को पूर्व बंटवारे व अपनी [illegible] पर कायम रहना चाहिए और परिवार में भाईचारा सदभावना बनायी रखनी चाहि[illegible]श कर देता है। उत्तरदाता के कब्जे काश्त के बारे में दिनांक 13.10.2016 को तहसीलदार के आदेश [illegible] पटवारी हल्का व गिरदावर व खेत के पडोसियों के सामने व आवेदकगण को भी सूचना की थी लेकिन वो नही आये मौका देखा था जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

खसरा नम्बर 2083 में उत्तरदाता रामचन्द्र की फसल होना पाया और जिसकी मौके की रिपोर्ट बनाई थी दिनांक 14.10.2016 को उपरोक्त प्रकार से ही खसरा नम्बर 674 की कब्जे काश्त की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियो ने बनाई थी इस खसरा नम्बर पर भी कब्जा काश्त उत्तरदाता रामचन्द्र की पाई थी और मौका रिपोर्ट बनाई थी। इस कारण आवेदकगण का दावाध्प्रार्थना–पत्र पूर्ण रूप से असत्य, झुठा पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जावें।प्रार्थना–पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है आवेदकगण ने गलत मुकदमा किया है और मुकदमें बाजी में उत्तरदाता को फसाकर परेशान करके अब उनके हिस्से की जमीन जिसकी पास से सडक चली गई जसको हड़पने के लिये झगड़ा, बदमाशी व मुकदमेबाजी कर रहा है आवेदकगण का न तो उत्तरदाता के हिस्से की जमीन पर कोई अधिकार है न ही कब्जा है आवेदकगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है युक्तियुक्त रूप से बाहमी बंटवारा करके अलग–अलग सीमा बनाके अलग–अलग रूप से काबिज है और फसल काश्त करते है व लाटते है। आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जावे।

<u>काउन्टर टी.आई.</u>

आवेदकगण ने सिणगारी पुत्री चुन्नीलाल, संतोष पुत्री चुन्नीलाल, बुलकेश देवी पत्नी स्व. धुडाराम, बसन्त कुमार पुत्र धुडाराम, रेखा कुमारी पुत्री धुड़ाराम, गंगाराम, मूलाराम पुत्रान नथू गुर्जर, श्रवण पत्नी रामेश्वर, प्रभूदयाल, शंकर, गिरधारी, नन्दू बाबूलाल पुत्रान रामेश्वर को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है उत्तरदाता रामचन्द्र भी इस दावेध्प्रार्थना–पत्र में काउन्टर टी.आई. पेश कर रहा है इस कारण इन व्यक्तियो को इस दावे ध् प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने के लिये अलग से प्रार्थना–पत्र श्रीमान जी की सेवामें पेश करेगा उत्तरदाता रामचन्द्र ने इसदावे के पूर्व रामचन्द्र बनाम भागरीथ वगैरह मुनं. 158/16 तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 पेश कर रखा है इस कारण इन दोनो दावोध्प्रार्थना–पत्रो को एक साथ करके एक साथ साक्ष्य लिये जाकर एक साथ निर्णित करने का भी प्रार्थना–पत्र अलग से लगाया जायेगा। उत्तरदाता का दावा मु.नं. 158/16 सम्पूर्ण खातेदारी के सम्बन्ध में है और आवेदकगण ने भागीरथ वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह मुकदमा पेश किया है जो मुनं. 171/16 है व सम्पूर्ण खातेदारी का नहीं है।

विभाजन सम्पूर्ण खातेदारी (Whole Holdingh) का होता है सम्पूर्ण खातेदारी के कुछ भाग का नहीं होता है। पक्षकारो के सम्पूर्ण खातेदारी निम्न प्रकार से है :–

(ए) ग्राम मिठारवालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा रामचन्द्र उत्तरदाता, भागीरथ पुत्र चुन्नीलाल, सिणगारी, संतोष पुत्रिया चुन्नीलाल, करणीराम, मनोहर सिंह पुत्रान हणमानाराम का है तथा 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश, राजेन्द्र, बनवारी उर्फ पोकर पुत्रान दानाराम, बुलकेश देवी पत्नी स्व. जगमालराम उर्फ घुडाराम, बसन्त कुमार पुत्र स्व. जगमालराम, रेखा कुमारी पुत्री स्व. जगमालराम, रिछपाल, पीथाराम, दुर्गाराम पुत्रान सुरजाराम, गंगाराम मूलाराम पुत्रान नाथूराम गुर्जर का है। बाहमी बंटवारे में जो मिट्स एण्ड बाउण्ड से बांट कर अलग–अलग निम्न प्रकार से काश्त करते है रू–खसरा नम्बर 2082 रकचा 2.62 हैक्टर ओमप्रकाश, राजेन्द्र, बनवारी उर्फ पोकर पुत्रान दानाराम, बुलकेश देवी पत्नी स्व. जगमालराम उर्फ धुडाराम, बसन्त कुमार [illegible] स्व. जगमालराम, रिछपाल, पीथाराम, दुर्गाराम पुत्रान सुरजाराम के हिस्से में आया है [illegible] काफी वर्ष करीब 50–55 साल से अलग काश्त करते है, अलग सीमा है अ[illegible] है।

(ख) खसरा नम्बर 2083 रकबा 263 है[illegible] आया है वो ही अलग सीमा बनाकर काश्त करता है व लाटता है। भागीरथ, सिणगा[illegible]तोष, करणीराम, मनोहर सिंह के इस खसरा नम्बर में कोई हिस्सा नहीं आया है उनको उनके हिस्से की भूमि संयुक्त खातेदारी की अन्य भूमि हिस्से में दी हुई है इस खसरा नम्बर को अकेला उत्तरदाता रामचन्द्र ही काश्त करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(बी) ग्राम बैनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.52 हैक्टर स्थित है इन खसरा नम्बर के पूरे रकबे पर भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह जो चुन्नीलाल व हणमान के उत्तराधिकारी है वह काबिज व काश्त करते है इन खसरा नम्बर का पूरा रकबा इन्ही अकेले के हिस्से में आया है।

(सी) ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का बसावा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर जिसका राजस्व रिकॉर्ड उत्तरदाता रामचन्द्र व चुन्नीलाल, हणमान के उत्तराधिकारियो भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहरसिंह के नाम से है जो उत्तरदाता रामचन्द्र अकेले के हक हिस्से में आया है वही काबिज काश्तकार है।

(डी) ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का बसावा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 690 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 694 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0. 1300 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 4.7200 हैक्टर स्थित है इस भूमि मे उत्तरदाता रामचन्द्र व भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह का 1/8 हिस्सा है उक्त भूमि पैत्रिक है जिसके पुराने खसरा नम्बर 416,418,419,420,422 है जिसमें दिलसुख का 1/8 हिस्सा है दिलसुख फौत हुआ तब दिनांक 15.06.1968 को इन्तकाल नम्बर 48 दिलसुख के तीनो पुत्रो रामचन्द्र, चुन्ना, हणमान के नाम दर्ज हुआ था लेकिन दिलसुख के 1/8 हिस्सा जो जांव में था वह पूरा हिस्सा भाई बट में चुन्नाराम व हणमान के हिस्से में आ गया इस कारण नई पैमाईश मे उत्तरदाता रामचन्द्र का नाम रिकार्ड से हटा दिया व 1/8 हिस्सा सम्पूर्ण भागीरथ, सिणगारी, संतोष, करणीराम, मनोहर सिंह के हिस्से में आया है यही काबिज व काश्तकार है। शेष 7/8 हिस्सा सह काश्तकार अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है 7/8 हिस्से के सह काश्तकार ओमप्रकाश, राजू, बनवारी, बुलकेश देवी, बसन्त कुमार, रेखा कुमारी, रिछपाल, पिथाराम, दुर्गाराम, गंगाराम, मुला, श्रवणीप्रभूदयाल, शंकर, गिरधारी, नन्दू व बाबूलाल है इन सभी सह काश्तकारो को वादी ने वाद–पत्र में पक्षकार नही बनाया है इस कारण अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में विधि अनुसार दावा पेश नहीं करने के कारण से खारिज होने योग्य है।

नोट :– बाहमी बंटवारे में आज से 50–55 साल पूर्व मिठारवालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर व खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का मोहनवाडी तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित है का सम्पूर्ण रकबा उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आया है वही काबिज काश्तकार है अलग सीमा बना रखी है और अलग ही खसरा नम्बर पडे हुवे है अलग ही भूमि को लाटता है और उनके हिस्से व कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में भी अलग खसरा नम्बर डालकर अलग सीमा दिखाई गई है उत्तरादाता रामचन्द्र ने खसरा नम्बर 674 में करीब 24–25 साल पूर्व वाह बनाया था, और वाह मे उत्तरदाता रामचन्द्र ने सन् 2001 में अपने नाम से विधुत सम्बन्ध ले रखा है उत्तरदाता रामचन्द्र [illegible] सिंह सीकर रहता है उसने सीकर मकान बना रखे है बाकी रामचन्द्र के तीनो पुत्र वि[illegible]चन्द, महेश ने इस खसरा नम्बर में तीन जगह अलग–अलग मकान बना र[illegible] 20–25 है, 50–55 साल से उक्त खसरा नम्बर उत्तरदाता रामचन्द्र के हि[illegible] आया है तब [illegible] बनाकर विधुत सम्बन्ध लिया है और उक्त मकान काश्त की हिफाजत व र[illegible] तथा खसरा नम्बर 2083 में भी उत्तरदाता रामचन्द्र ने करीब 10 वर्ष पूर्व ट्यूबवैल बनाया था जिसमें [illegible] विधुत सम्बन्ध लेने के लिये रामचन्द्र नेअ०वि०वि०नि०लि० नवलगढ़ के यहाँ दिनांक 09.11.2010 को फाईल जमा करवायी हुई है आर इस खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

नम्बर में काश्त की हिफाजत के लिये उत्तरदाता रामचन्द्र ने दो ढारे भी चारा आदि डालने के लिये बनवा रखे है। इसी प्रकार विधिवत बंटवारा किया जाकर उक्त खसरा नम्बरो का खाता अलग उत्तरदाता रामचन्द्र के नाम बना दिया जावे, जिसके लिए उक्त प्रार्थना–पत्र में काउन्टर टी.आई. भी श्रीमान की सेवामें पेश है।

3. आवेदकगण ने खसरा नम्बर 674 में बने उत्तरदाता रामचन्द्र के मकानो, निर्माण, विद्युत चाह के सम्बन्ध में तमाम तथ्यों को छुपाया है और खसरा नम्बर 2083 में उत्तरदाता रामचन्द्र के बने ट्यूबवैल के सम्बन्ध में उसमें उत्तरदाता रामचन्द्र के बने द्वारों के सम्बन्ध में व उत्तरदाता रामचन्द्र ने विद्युत फाईल जमा करवाने के सम्बन्ध में तमाम तथ्ये छुपाये है इस कारण वादीगण किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है उनका दावा खारिज होने लायक है। जो व्यक्ति तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को मुगालते में रखकर कार्यवाही करता है या वाद पेश करता है तो न्यायालय उसे रिलिफ नहीं देता है बल्कि प्रताडित व सजा करता है इस कारण आवेदकगण का दावाध्प्रार्थना–पत्र भारी हर्जे खर्च सहित खारिज होने लायक है। जबाब की धारा 3 में वर्णित सम्पूर्ण खातेदारी में दिलसुख के तीन पुत्र चुन्नाराम, रामचन्द्र व हणमान का बराबर–बराबर प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा है और अपने हिस्से अनुसार आज से 50–55 साल पूर्व दिलसुखराम के तीनो पुत्रो ने भूमि का अलग–अलग विभाजन कर लिया, अलग–अलग सीमा बना ली, और अलग अलग ही बांटते है व लाटत है। अलग–अलग राशन कार्ड है अलग–अलग रहवासी मकान है अलग–अलग खाना बनाते है और अलग–अलग अपना हानी–लाभ है। आवेदकगण को 50–55 साल पूर्व जब विभाजन किया था तब डेरी की बहुत अच्छी किस्म की भूमि ली थी और उन्हें दी गई थी क्योंकि उत्तरदाता रामचन्द्र अनपढ व अकेला था और चुन्नाराम व हणमान आपस में मिले हुवे संगठित थे और इसी कारण उन्होने 1ध8 हिस्सा जो जांव में था वह सारा इन दोनो ने ही लिया था, उत्तरदाता रामचन्द्र को उडार की कम उपजाउ जमीन उस वक्त कुछ रकबा ज्यादा देकर दी गई थी, वह जमीन दिलसुखराम के निवास स्थान से चार किलोमीटर दूर थी इस कारण वादीगण के पूर्वज उसे लेना भी नहीं चाहते थे और उत्तरदाता रामचन्द्र को कमजोर स्थिति के कारण उसे उक्त भूमि दी गई थी और उसने ली थी। दिलसुख के पुत्रो का निम्न प्रकार से 1ध3 1ध3 हिस्से अनुसार बंटवारा किया हुआ है और निम्न प्रकार से भूमि उनके हिस्से में आई है। उसी प्रकार से काबिज काश्तकार है।

(क) खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हेक्टर व खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर उत्तरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आई है। इस रकबे में चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारियो का कोई हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त 50–55 साल से कभी नहीं रहा, सिर्फ उतरदाता रामचन्द्र का ही हक हिस्सा व कब्जा काश्त रहा है।

(ख) खसरा नम्बर 751 रकबा 7.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.2000 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा आवेदकगण व चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारीयोके हिस्से में आया है तथा जांव खसरा नम्बर 690 लगायत 696 व खसरा नम्बर 699, 701, 702 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 4.72 हैक्टर में जो दिलसुख का 1ध8 हिस्सा था वह सारा हिस्सा चुन्नाराम व हणमान राम के हिस्से में आया है इसी कारण जांव में उतरदाता का नाम राजस्व रिकार्ड से बाद में हटा दिया इसमें उत्तरदाता रामचन्द्र का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नम्बर 751 में आवेदकगण चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारीयो ने ट्यूबवैल कर रखी है और 2004 से उन्होंने विद्युत सम्बन्ध भी ले रखा है जिसमें चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारी अलग–अलग मकान बना के आबाद है कुल [illegible] मकान 20–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– आवेदकगण यह तथ्य बताये कि अगर वे 50–55 साल [illegible] एण्ड बाउण्ड से अलग–अलग बंटवारा करके अलग–अलग काबिज नहीं हुये और अलग–अलग [illegible] काश्त नहीं करते है, अलग–अलग नहीं लाटते है, तो उन्होने खसरा नम्बर [illegible] से चाह बना लिया और उनके मकान कैसे बन गये, और उन्होने कैसे विधुत सम्बन्ध ले लिया। खसरा नम्बर 751 में विद्युत टावर भी 2012 में स्थापित हुआ था उसका मुआवजा आवेदकगण ने अकेलो ने कैसे लिया। उत्तरदाता ने 674 में विधुत चाह

महायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मकान अलग कैसे बना लिए उपरोक्त प्रकार से बाहमी बंटवारा करके 50–55 वर्ष से सब अलग–अलग काश्त व लाटते है अलग–अलग मकान बना रखे है इस प्रकार आवेदकगण ने तमाम तथ्यों को छुपाया है और गलत तरीके से वादध्आवेदकगण व चुन्नाराम व हणमान के उत्तराधिकारियो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वे उतरदाता रामचन्द्र के हिस्से में आई कब्जे काश्त की भूमि किसी प्रकार का अवरोध न तो स्वयं पैदा करे और ना ही अपने आदमियो से करवाये, उतरदाता व उसके उत्तराधिकारियो को उनके हिस्से की भूमि को शांति पूर्ण ढंग से उपयोग उपभोग करने दे. जिसमें किसी प्रकार की मुगालत बेजा नहीं करे, काउन्टर क्लेम में प्रश्नगत भूमि व उतरदाता के बाहमी बंटवारे में हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 2083 व खसरा नम्बर 674 के किसी भाग को किसी भी रूप में किसी को भी रिकॉर्ड के आधार पर ट्रान्सफर नहीं करे।

अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाकर प्रतिवादी उत्तरदाता काउन्टरक्लेमकर्ता रामचन्द्र का काउन्टर टी.आई. मय हर्जा खर्चा डिक्री किया जावें।

आवेदक की ओर से पेश जबाब का0 टी0आई0 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– का0 टी आई की मद संख्या 1 जिस प्रकार दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है। आवेदकगण ने अपने वाद पत्र मे संबंधित रिकार्डड काश्तकारो को पक्षकार मुकदमा बनाया है। जिन व्यक्तियो का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से कोई संबंध नही है अथवा जिन्होनें अपने हिस्से भूमि का हक आवेदकगण अथवा अन्य के पक्ष मे त्याग दिया है। उन्हें पक्षकार बनाना कानूनन आवश्यक नही है। अनावेदक रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत दावा मुकदमा संख्या 158/2016 जिसके तहत अनावेदक ने दोनो दावों को एक साथ कन्सोलडिड कर निर्णित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उपरोक्त दावा मुकदमा संख्या 158/2016 अनावेदक स्वंय के द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवीमे खारिज करवा लिया गया। जिससे अनावेदक की मंशा अपने आप मे ही जाहिर होती है कि अनावेदक की नियत हमेशा से खराब रही है।

टी आई की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। आवेदकगण द्वारा वाद पत्र संबंधित खाते की भूमि के संबंध मे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है :– उपरोक्त मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार है प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे आवेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व अनावेदक का 1/3 हिस्सा है अन्य किसी व्यक्ति का उपरोक्त वर्णित भूमि मे हक व हिस्सा नही है। जिनका भूमि में हिस्सा नही हो उनके द्वारा काश्त किया जाना संभव नही है।

टी आई की उक्त मद में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है भूमि खसरा नं. 2082 रकबा 2.62 हैक्टेयर मे 1ध्6 हिस्सा आवेदक संख्या 1, 1/6 हिस्सा आवेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 1/6 हिस्सा अनावेदक का तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1ध्4 हिस्सायह कि उक्त मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। भूमि खसरा नं. 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 701 व 702 अनावेदक का कोई हक व हिस्सा नही है न ही अनावेदक उक्त खसरा नं. का सहखातेदार है अथवा काबिज काश्तकार है। खसरा नं. 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 701 व 702 आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं नाथूराम गुर्जर व रामेश्वर लाल जाट की खातेदारी की थी जिन पर उनके वारिसान का कब्जा व काश्त है। जिसका वर्तमान दावे से कोई संबंध नही है। अनावेदक द्वारा मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए काउन्टर टी आई प्रस्तुत किया है एवं तथ्यो को तरोड मरोड कर अंकित कर महज माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के लिए बेबुनियाद व निराधार तथ्य अंकित किया है। जिनका वास्तविक तथ्यो से कोई सरोकार नही है।

टी आई की मद संख्या 3 जिस प्रकार दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है। भूमि खसरा नं. 674 रकबा 3.25 हैक्टेयर मे आवेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व अनावेदक का 1ध्3 हिस्सा है तथा खसरा नं. 2083 अकेले अनावेदक का होना वउसमें अनावेदक रामचन्द्र द्वारा ट्यूबवैल के संबंध में अकेले का होना अंकित करना निराधार है। उपरोक्त वर्णित ट्यूबवैल में भी आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगा है। जिससे अनावेदक रामचन्द्र द्वारा अकेले के नाम विद्युत कनेक्शन हेतू फाईल जमा कराने का तथ्य निराधार है। अनावेदक रामचन्द्र द्वारा तमाम मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायालय को भ्रमित करने की पूर्ण रूप से चेष्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फागी (जयपुर)

की गई है और वह मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह काउन्टर टी आई की आड में महज वेस कीमती भूमि को हडपना चाहता है। जिसका अनावेदक को हक व अधिकार नही है। काउन्टर टी आई प्रथम दृष्टतया की खारिज होने योग्य है।

भूमि खसरा नं. 2083 रकबा 2.63 हैक्टेयर व खसरा नं. 674 रकबा 3.25 हैक्टेयर अकेले रामचन्द्र के हिस्से मे आई उक्त तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे आवेदकगण तथा अनावेदक व प्रतिवादी संख्या 2 का समान 1\3, 1\3 हक व हिस्सा है। जिन पर वे काश्त करते है तथा खसरा नं. 283 प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का भी हिस्सा है।कि टी आई की उपरोक्त वर्णित मद गलत एवं अस्वीकार है। खसरा नं. 751 रकबा 7.32 हैक्टेयर व खसरा नं. 877/752 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 7.52 हैक्टेयर मे 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 1, 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 1/3 हिस्सा अनावेदक का हैं। भूमि खसरा नं. 690 से 696, 699, 701 व 702 अनावेदक का कोई हक व हिस्सा नही है न ही अनावेदक उक्त खसरा नं. का सहखातेदार है अथवा काबिज काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि आवेदकगण संख्या व अनावेदक संख्या 2 एवं नाथूराम गुर्जर व रामेश्वर लाल जाट की खातेदारी की थी जिन पर उनके वारिसान का कब्जा व काश्त है। जिसका वर्तमान दावे से कोई संबंध नही है। अनावेदक ने तथ्यो को तरोड मरोड कर अंकित कर महज माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के लिए बेबुनियाद व निराधार तथ्यो को अंकित किया है। जिनका वास्तविक तथ्यो से कोई सरोकार नही है।

अनावेदक ने इस काउन्टर टी आई के माध्यम से महज बेस कीमती भूमि को अपनी जाहिर करने की कुचेष्टा करने की नियत से मिथ्या व बेबुनियाद तथ्य अंकित कर वास्तविक तथ्यो को नकारने का प्रयास किया है जिससे अनावेदक इस काउन्टर टी आई के माध्यम से न्यायालय से इसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता। काउन्टर टी आई प्रथम दृष्टतया की खारिज होने योग्य है।

विशेष कथन

अनावेदक ने पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा संख्या 158/2016 प्रस्तुत किया था। जिसे अनावेदक द्वारा दिनांक 06.02.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज करवा लिया। यदि अनावेदक की नियत सही होती तो वह उक्त दावे को खारिज क्यो करवाता क्योंकि स्वंय अनावेदक द्वारा दोनो दावा व प्रार्थना पत्र को एक साथ कन्सोलडिड करने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें दोनो दावे व प्रार्थना पत्र एक साथ शामिल होकर निर्णित हो सकते थे। जिससे अनावेदक की नियत में बदनियती एवं बेईमानी होना स्पष्ट जाहिर होता है कि वह कहां तक सही है।

ग्राम चौनगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 690, 696, 699, 701, 702 में 1\8 हिस्से की भूमि की खातेदारी आवेदकगण व अनावेदकसंख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि उनके पिता हनुमान व चुन्ना से प्राप्त हुई थी तथा क्रयशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसके संबंध में अनावेदक को टी आई प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नही है तथा ग्राम मिठारवालों की ढाणी भूमि खसरा नं. 2083 मोहनवाडी में स्थित भूमि खसरा नं. 674 तथा चौनगढ़ में स्थित भूमि खसरा नं. 751, 877/752 आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 की सहखातेदारी व कब्जे व काश्त की भूमि है। जिसके संबंध में अनावेदक आवेदकगण के विरूद्ध काउन्टर टी आई के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता।

अनावेदक ने काउन्टर टी आई मात्र आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान व परेशान व उनके हिस्से की भूमि हडपने तथा बेस कीमती भूमि [illegible] की कुचेष्टा करने के उद्देश्य से मिथ्या प्रस्तुत किया है। जो खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव उल जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अना[illegible] टी आई मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं आवेदकगण का प्रार्थना [illegible] जाकर अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा[illegible] विभाजन नही हो जाता तब तक अनावेदक विवादित भूमि के कीमती व विशिष्ट भाग पर निर्माण नही करे, कब्जा नही करे, विवादित भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्लाट नही काटे ना ही विक्रय नही करे एवं खुर्द बुर्द नही करे। आवेदकगण के कब्जा व काश्त व किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :– **दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हैक्टर, राजस्व ग्राम मोहनवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर, राजस्व ग्राम चौनगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बरर 751 रकबा 7.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.20 हैक्टर, राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर भूमि शामलाती तथा पैतृक संपति है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि शामलाती होना साबित है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः जब तक भूमि का विभाजन नही हो जाता है उक्त भूमि मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अनावेदकगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अगर उक्त पैतृक व शामलाती आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में है।
  अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदकगण के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदकगण के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.62 हैक्टर, राजस्व ग्राम मोहनवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 3.25 हैक्टर, राजस्व ग्राम चौनगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बरर 751 रकबा 7.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/752 रकबा 0.20 हैक्टर, राजस्व ग्राम मिठारवालो की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2083 रकबा 2.63 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 13.07.2016 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट– ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested